भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 695

05.02.2026 को उत्तर के लिए

पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी

695. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :
श्रीमती रंजीत रंजन :
श्री हारिस बीरान :
श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से अब तक दी गई कार्योत्तर या पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरियों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे मामलों से वसूली गई शास्तियों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय की आपनी विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों द्वारा चिह्नित किए जाने के बावजूद मंजूरी दी गई परियोजनाओं की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को नियमित करने के पर्यावरणीय और आर्थिक परिणामों का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ड़) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) : भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के धारा (v) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 जारी की है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी नए परियोजना या कार्यकलाप के निर्माण अथवा किसी विद्यमान परियोजना या कार्यकलाप के विस्तार या आधुनिकीकरण, जिनमें प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि शामिल हो, को भारत के किसी भी भाग में तभी किया जाएगा जब इसके लिए केंद्र सरकार से अथवा, यथास्थिति, केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विधिवत गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से, ईआईए अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।

यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावों का मूल्यांकन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक परामर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों सहित,परियोजना से संबंधित सभी पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया जाता है। ईएसी/एसईएसी की संस्तुतियों के आधार पर, परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में आगे विचार हेतु मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता।

वे परियोजनाएँ या कार्यकलाप, जिन्होंने स्थलों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है या पर्यावरण मंजूरी में निर्दिष्ट सीमा से अधिक उत्पादन क्षमता और/या परियोजना क्षेत्र का विस्तार किया है, या ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व-ईसी प्राप्त किए बिना दायरे में बदलाव किया है, उन्हें उल्लंघन प्रस्ताव के रूप में माना जाता है। अनियंत्रित और बिना निगरानी के छोड़ा जाने से पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होनेवाली ऐसी परियोजनाओं और कार्यकलापों को पर्यावरणीय कानूनों के अनुरूप शीघ्रता से लाने के लिए मंत्रालय ने दिनांक 14 मार्च 2017 के सूचना संख्या सं.आ. 804(अ) जारी किया, जिसमें ऐसे प्रस्तावों के नियमितीकरण के लिए एक एकमात्र अवसर प्रदान किया गया। इसके बाद, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश का पालन करते हुए, मंत्रालय ने दिनांक 7 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया, जिसमें उल्लंघन वाले मामलों की पहचान और निपटान की प्रक्रिया निर्धारित की गई।

वर्ष 2017 के दिनांक 14 मार्च 2017 की अधिसूचना सं.आ. 804(अ) और वर्ष 2021 के मानक संचालन प्रक्रिया (दिनांक 7 जुलाई 2021 के का. ज्ञा.) दोनों के तहत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई का प्रावधान हैं, जहाँ पूर्व पर्यावरण मंजूरी ली जा सकती थी लेकिन उसे प्राप्त नहीं किया गया हो और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का मूल्यांकन भी जरूरी है। इस मूल्यांकन में ईआईए/ईएमपी समीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पारिस्थितिकीय नुकसान के आकलन तथा तत्संबंधी उपचारात्मक योजना और प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना को शामिल किया गया है। यदि ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट की जांच के बाद, मौजूदा विनियमों के अनुसार परियोजना को संचालन के लिए अनुमत माना जाता है, तो संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित ईसी प्रदान की जाती है। यह मंजूरी इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होती है और इसमें सामान्य और विशेष दोनों पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता होती है, जिसमें अतीत के उल्लंघनों के लिए उपचारात्मक योजना और सामुदायिक एवं प्राकृतिक संसाधन संवर्धन योजना का कार्यान्वयन करना शामिल है जो पर्यावरणीय प्रभावों को कम और प्रबंधित करने के सुरक्षोपाएं जैसे हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 7 जुलाई 2021 की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, उल्लंघन के मामलों में शास्ति भी लगायी जाती है, जो कुल परियोजना लागत का 1% तक हो सकती है। यदि ऐसी परियोजना/कार्यकलाप का प्रचालन आरंभ हो गया है, तो उल्लंघन की अवधि के दौरान कुल कारोबार का 0.25% अतिरिक्त शास्ति के रूप में भी लगाया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.05.2025 की 2023 की रिट याचिका (सी) 1394 वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में दिए गए अपने निर्णय के तहत उपर्युक्त उल्लिखित अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.11.2025 के अपने निर्णय के माध्यम से दिनांक 16.05.2025 के निर्णय को पुनः रद्द किया और निर्देश दिया कि रिट याचिकाएँ और अपील पुन: बहाल किया जाए, तथा आवश्यक आदेशों को प्राप्त करने हेतु प्रशानिक पक्ष के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले को पुन: प्रस्तुत करने हेतु रजिस्ट्री को निदेश देते हुए फाइल करें।

परियोजनाओं का वर्षवार और राज्यवार विवरण दिनांक 14 मार्च 2017 की अधिसूचना संख्या 804(अ) और दिनांक 07 जुलाई 2021 की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। ईएसी द्वारा उपचारात्मक योजना और प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुशंसित राशि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

दिनांक 14.3.2017 के अधिसूचना सं 804 (अ) और दिनांक 7.7.2021 को मानक संचालन प्रक्रिया के तहत वर्ष 2021 से उल्लंघन श्रेणी में मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर जिन परियोजनाओं को ईसी प्रदान की गई है, उनका परियोजना का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण और सुधार योजना (आरपी) और प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना (एनसीआरएपी) के कार्यान्वयन के लिए ईएसी द्वारा अनुशंसित राशि

	2021		2022		2023		2024		2025	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ईसी की संख्या	आरपी और एनसीआरएपी की लागत (लाख में)*	स्वीकृत ईसी की संख्या	आरपी और एनसीआरएपी की लागत (लाख में)*	स्वीकृत ईसी की संख्या	आरपी और एनसीआरएपी की लागत (लाख में)*	स्वीकृत ईसी की संख्या	आरपी और एनसीआरएपी की लागत (लाख में)*	स्वीकृत ईसी की संख्या	आरपी और एनसीआरएपी की लागत (लाख में)*
छत्तीसगढ					1	23.16				
दमन और दीव	2	69.38								
गोवा					1	60.00				
गुजरात	2	119.62	1	13.28						
हरियाणा			2	63.07	2	71.72				
हिमाचल प्रदेश	2	26.00	1	8.13						
झारखंड	2	1,688.68	4	4,289.43	1	56.44			1	318.08
कर्नाटक	2	184.16								
महाराष्ट्र	5	869.07			3	2699.99				
ओडिशा	1	4,921.00	1	1,480.83	2	176.22				
राजस्थान	1	19.00								
तमिलनाडु	1	61.40	1	355.9			1	606.94		
तेलंगाना	4	3,397.72	1	464.50	2	373.54	1	127.00		
पश्चिम बंगाल	1	5,375.00	1	5,183.97						
कुल	**23**	**16,731.03**	**12**	**11,859.11**	**12**	**3,461.07**	**2**	**733.94**	**1**	**318.08**

*सुधार योजना (आरपी) और प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना (एनसीआरएपी) के कार्यान्वयन की लागत